"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016—ज्येष्ठ 6, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक एफ 4-2/2014/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 18 अप्रैल, 2016 से 22 अप्रैल, 2016 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् (शनिवार, रविवार एवं महावीर जयंती छुट्टी) का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2016 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-57/गृह-सी/परीक्षा/2016.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 01 अगस्त, 2016 से 06 अगस्त, 2016, तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 01-08-2016

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 01-08-2016	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 02-08-2016

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''बी''.	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''सी''.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	
	मंगलवार, दिनांक 02-08-2016	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

बुधवार, दिनांक 03-08-2016

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वयव तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों की सहायता से)	

गुरुवार, दिनांक 04-08-2016

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 04-08-2016	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 05-08-2016	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 06-08-2016	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 11-07-2016 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक 4474/1012/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कबीरधाम के पद पर नियुक्त श्री संतोष कुमार देवांगन, अधिवक्ता, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 23-02-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2016

संशोधन

क्रमांक एफ 6-40/2013/वा.कर./पांच.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26-04-2016 में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन कर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को पदोन्नति उपरांत उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री श्याम किशोर सहाय, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-दो.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5

(1)	(2)	(3)
2.	श्री रामकुमार बागे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-एक.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-एक

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक एफ 6-11/2016/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित सहायक प्रोग्रामर को प्रोग्रामर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	सहायक प्रोग्रामर का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री कैलाश चन्द्र सेन, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर
2.	श्री साहिल सिंह, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर
3.	श्रीमती शशिकला कुजूर, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर
4.	श्री ओमप्रकाश करूण, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर.	कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ 10-11/35/2003/गौसेआ/2016.—छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) (2) में निहित प्रावधान के अनुसार, राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग में निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये पद पर नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पद (3)	पता (4)
1.	श्री विशेषर पटेल	अध्यक्ष	लोहार पंडरिया, जिला-कबीरधाम
2.	श्री रमेश यदु	सदस्य	भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री धनी राम यादव	सदस्य	लोरमी, जिला-मुंगेली
4.	श्री रूपसिंह साहू	सदस्य	ग्राम-देवगांव, पोस्ट-बेलर, फिंगेश्वर जिला गरियाबंद
5.	श्री दीनदयाल यादव	सदस्य	राजनांदगांव
6.	श्री सेवाराम अग्रवाल	सदस्य	अम्बिकापुर

2. उपर्युक्त दर्शित अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्दीकी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2016

क्रमांक एफ 7-15/2008/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सीपत जिला बिलासपुर हेतु निम्नानुसार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन करता है :—

सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी

1.	कलेक्टर, जिला बिलासपुर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बिलासपुर	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, बिलासपुर	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर	सदस्य
7.	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर	सदस्य
8.	अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, बिलासपुर	सदस्य
9.	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.), मस्तुरी बिलासपुर	सदस्य
10.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	सदस्य सचिव

2. इसके अतिरिक्त दो महिला सदस्यों का मनोयन पृथक से किया जायेगा.

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2016

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 4 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री धनंजय शर्मा, जांजगीर-चांपा एवं श्री शत्रुहन सिन्हा, कांकेर को एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सदस्य नियुक्त करता है.

2. उपर्युक्त नियुक्ति राज्य शासन के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा श्री धनंजय शर्मा, जांजगीर-चांपा एवं श्री शत्रुहन सिन्हा, कांकेर द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष, जो भी अवधि पहले हो, के लिये होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक एफ 2-41/2012/नौ/55-तीन.—छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद अधिनियम, 2001 (क्र. 25 सन् 2001) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-में,—

1. अनुसूची में सरल क्रमांक 38 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :—

"39 फार्मासिस्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी)

40 डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी (डी.फार्मा आयुर्वेद)"

No. F 2-41/2012/9/55-3.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Chhattisgarh Sah Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2001 (No. 25 of 2001), the State Government, hereby, makes following further amendment in Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act :—

1. After serial number 38 of the Schedule, the following shall be added, namely :—

"39. Pharmacist (Ayurved/Homoeopathy/Unani)

40. Diploma in Ayurvedic Pharmacy (D. Pharma Ayu.)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक/एफ 15-09/2015/15-1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-10-2015 द्वारा श्री सुशील कुमार गुप्ता, ग्राम तुलसी नगर कोरबा, जिला कोरबा को सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बीजापुर में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2800 में नियुक्त किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सुशील कुमार गुप्ता को सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला कोरबा में पदस्थ किया जाता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./4297 को दिनांक 24-03-2016 से 23-09-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3657 को दिनांक 05-02-2016 से 04-08-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री प्रबोध मिंज, साई मंदिर रोड भगवानपुर अंबिकापुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-05/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर नियुक्त करता है :—

1. डॉ. सुखनंदन सोनकर, लाखे नगर रायपुर
2. श्री दिलीप दीवान, ग्राम गिरोला जिला कोण्डागांव
3. श्री मुनेश्वर केशर, कसेर भवन, ग्राम बरांगजीर, कुनकुरी जिला जशपुर
4. श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा
5. श्री बिशुन कश्यप, मु.पो.पेण्ड्री, जिला जांजगीर-चांपा
6. श्री ईश्वर पटेल, साजा जिला बेमेतरा

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-06/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पद पर नियुक्त करता है :—

1. श्री विकास मरकाम, राधा स्वामी नगर ए-15 गोल चौक के पास रिंग रोड रायपुर.
2. श्री रामकिशुन सिंह, अंबिकापुर.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-07/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के संविधान की धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा-6 के अंतर्गत निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :—

क्र. (1)	नाम एवं पता (2)	पद (3)
1.	मो. अकरम कुरैशी, लखौली चौक राजनांदगांव	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नजमा अजीम खान, सारंगढ़ जिला राजनांदगांव	उपाध्यक्ष
3.	श्री अब्दुल हफीज, मौदहापारा सुभाष नगर, रायपुर	सदस्य
4.	श्री बदरूजमा अंसारी, चिरमिरी जिला कोरिया	सदस्य
5.	श्री अब्दुल वहीद खान, मु.पो. नरहरपुर आवासपारा जिला कांकेर	सदस्य
6.	डॉ. मेहरूद्दीन मिर्जा, एकता चौक कवर्धा जिला कबीरधाम	सदस्य
7.	श्री सफीक अहमद (फुग्गा भाई), मौदहापारा रायपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)
8.	श्री हमीद अहमद शाह, भिलाई-3 चरौदा जिला दुर्ग	सदस्य
9.	श्री नुर मोहम्मद अरबी, कोरबा	सदस्य
10.	श्री सैय्यद उस्मान अली, मुंगेली	सदस्य
11.	श्री अहमद जकी रजा, रायपुर	सदस्य
12.	श्री गुलाब नबी अंसारी, अंबिकापुर जिला सरगुजा	सदस्य
13.	श्री नजरूद्दीन खोखर, दुर्ग	सदस्य
14.	श्री अब्दुल रहीम, मेनरोड जगदलपुर जिला बस्तर	सदस्य
15.	श्री अख्तर अली, नारायणपुर	सदस्य
16.	प्रो. डॉ. रिजवान उल्ला कुरैशी, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, अंबिकापुर	सदस्य
17.	श्री सरफराज अहमद, उर्दू शिक्षा, शासकीय प्राथमिक शाला, सूरजपुर	सदस्य

2. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उर्दू अकादमी के पेट्रन होंगे.

3. अकादमी के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-08/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री हेमचंद जांगड़े, रायपुर को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. लेवे, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/276.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों के परिशिष्ट में,—

1. भाग (ब) के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"3.	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय- इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र."

2. भाग (ब) के खण्ड (ग) के सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"9.	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 मई 2016

क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/277.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-1204/पंग्राविवि/22/2016/276, दिनांक 12-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 12th May 2016

No./P.-1204/PGVV/22/2016/276.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMET

In Annexure of the said rules,—

1. For serial number 3 and entries relating thereto of clause (c) of Para (B), the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"3.	Social Science	Any two subject - History, Geography, Economics or Political Science."

2. After serial number 8 of clause (c) of Para (B), the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)
"9.	Home Science	Home Science has been a subject in graduation level."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रावनखोंदरा प.ह.नं. 17	1.543	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना के अंतर्गत धनगांव माईनर नहर-2 हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्रमांक/06/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	घुमरापदर	0.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	घुमरापदर जलाशय योजना के उलट नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक/13/क.अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	स्याहीडोंगरी	3.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1017/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	सोनझरी प.ह.नं. 14	4.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	सोनझरी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध पार, डुबान, उलट एवं बायीं नहर नाली में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1019/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	बानो प.ह.नं. 8	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	सुतियापाट जलाशय मध्यम परियोजना के अंतर्गत पूरक प्रकरण नहर में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1021/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मैनपुरी प.ह.नं. 23	0.518	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	मैनपुरी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1023/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	सरईपतेरा प.ह.नं. 14	2.392	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	सोनझरी जलाशय योजना के अंतर्गत दायीं नहर में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1025/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	बीगारभर्री प.ह.नं. 14	1.564	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	सोनझरी जलाशय योजना के अंतर्गत दायीं नहर में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 1027/रीडर/भू-अर्जन/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	बीगारभर्री प.ह.नं. 14	1.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.).	सोनझरी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध पार, डुबान में प्रभावित अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय, अधिकारी (राजस्व), कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 9 मई 2016

क्रमांक/773/भू-अर्जन/प्र.क्र.-01 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	नवागांव प.ह.नं. 18	1.37	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	झिरिया जलाशय योजना हेतु नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5600/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करही, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.369 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	789	0.024
	790	0.032
	791	0.028
	884	0.012
	886/1	0.028
	886/2	0.028
	886/3	0.028
	906	0.085
	914/1	0.008
	914/2	0.032
	914/3	0.008
	914/4	0.008
	914/5	0.008
	1660	0.040
योग	14	0.369

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5602/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	641	0.004
	927/1	0.004
	931/4	0.004
	665/4, 666/4	0.008
	915, 928, 929, 930	0.004
	931/1	0.008
	648, 649, 450	0.008
	663	0.020
	661	0.020
	659/1	0.004
	660/1	0.008
	654	0.008
	958	0.061
	660/2	0.008
	931/2	0.008
	927/2	0.004
	931/3	0.004
	931/5	0.008
योग	18	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5604/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.100 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57	0.008
	58	0.020
	60/1	0.008
	60/2	0.024
	62	0.061
	63	0.061
	64/1	0.040
	65/2	0.012
	66	0.069
	67/1	0.012
	82/2	0.040
	82/4	0.049
	83/1	0.032
	83/2	0.024
	84/3	0.036
	84/4	0.008
	90/1	0.028
	90/4	0.008
	90/5	0.004
	91/2	0.016
	92/2	0.008
	93/1	0.020
	96/1	0.012
	96/2	0.012
	96/3	0.012
	97/1	0.008
	97/2	0.008
	98	0.020
	99	0.016
	2326/1	0.012
	2326/4	0.045
	2326/5	0.012
	2326/9	0.008
	2326/10	0.016
	2327/1	0.049
	2327/2, 2327/3	0.049
	2335	0.020
	2340/1	0.040
	2340/2	0.032
	2340/3	0.004
	2340/4	0.004
	2342	0.020
	2343/1	0.032
	2365	0.008
योग	44	1.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5606/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.089
103	0.012
104	0.016
105, 106/2	0.024
106/1	0.077
109/1	0.117
110/1	0.053
111/2	0.020
112/2	0.036
113/1	0.008
139	0.020
140/1	0.073
140/2	0.049
141/1	0.202
141/4	0.024
173/2	0.097
173/3	0.049
174/1	0.028
174/3	0.065
175/1	0.036
175/3	0.036
175/4	0.077
176/2	0.036
177/2	0.057
177/3	0.028
177/5	0.065
177/6	0.036
177/7	0.065
177/14	0.057
467/1	0.239
467/2	0.053
467/5	0.020
669/1 ख	0.097
669/5	0.040
669/7	0.065
671/3	0.036
671/5	0.036
672/1	0.057
672/2	0.081
683	0.016
837	0.024
839/2, 923/1	0.032
839/3, 823/2	0.012
876	0.036
878/1	0.073
877/2, 917/5	0.101
878/2	0.040
878/3	0.032
888/2	0.032
889/1	0.028
908	0.020
909/1	0.028
919/2	0.089
920	0.036
921/1	0.020
921/2	0.028
924/3 क	0.012
924/2 ख	0.016
योग 58	2.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5608/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-किकिरदा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.017 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
290/1	0.129

(1)	(2)
310	0.081
311/1	0.065
312/2	0.036
312/4	0.008
312/5	0.032
312/6	0.036
313	0.077
314/1	0.040
315	0.085
316/1	0.032
316/2	0.028
317/2	0.028
320/2	0.057
321	0.085
322/1-6	0.129
322/2-3	0.235
414/1	0.057
414/3	0.053
415/1	0.016
415/3	0.016
415/4	0.016
416	0.040
417/1	0.040
417/3	0.040
417/4	0.040
418	0.190
501	0.174
502/1	0.049
502/2	0.061
504/1	0.101
504/2	0.028
504/3	0.121
506/1-2	0.170
505/2	0.146
507/2	0.040
507/3-4	0.077
507/6	0.049
508/1	0.061
508/2	0.012
508/3	0.012
509/1	0.024
513/4	0.012
514/2	0.158
514/3	0.049
514/4	0.081
516/1	0.081
520/1	0.028
602/4	0.073
1754	0.081
1755/1	0.024
1755/8	0.024
1755/9	0.024
1760/2	0.036
1760/9	0.049
1761/2	0.024
1763/1	0.085
1763/2	0.085
1969	0.162
1971/2	0.040
1971/3	0.085
योग 61	4.017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसंतपुर-परसदा-घोघरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरापानी, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.201 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.398
53	0.465
52	0.918
51	1.619
37	0.061
25	0.911
22/1	0.486
22/2	1.052
22/3	1.291
योग	7.201

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम तरेगांव जलाशय डूब क्षेत्र एवं बांध स्थल योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-गुड़ली, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.275
11	0.146
17	0.138
18/2	0.287
16	0.113
15/2	0.304
योग	1.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राली व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-राली, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.399 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
130/1	0.267
129/3	0.174
140/5	0.121
140/4	0.121
141/1	0.384
142	0.162
150	0.049
149	0.372
148	0.150
163/4	0.125
161/2	0.130

(1)	(2)
161/1	0.121
161/3	0.158
163/2	0.065
योग	2.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राली व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक/07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-छुही, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.890 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121	0.243
127	0.595
132/277/1	0.405
144	0.210
134/1	0.109
134/2	0.219
135	0.109
योग	1.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राली व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक/935/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.268 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
326/1	0.049
326/2	0.049
325/1	0.057
329/1	0.073
329/2	0.040
योग 5	0.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डेहरी से पण्डरिया मार्ग के सकरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक/936/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सिल्हाटी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	560/1	0.113
	561/1	-
योग	2	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव से कवर्धा राज्यमार्ग क्र. 5 के कि.मी. 85/10 के कर्रा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 मई 2016

क्रमांक/937/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-लाखाटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141/3	0.020
	142	0.142
योग	02	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव से कवर्धा राज्यमार्ग क्र. 5 के कि.मी. 85/10 के कर्रा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-झालम, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
758	0.10
759	0.08
760	0.07
764	0.10

(1)	(2)
761	0.10
762	0.05
योग	50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी फेस-2 झालम माईनर नहर में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 10 मई 2016

क्रमांक 17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1010/2	0.12
1008	0.02
1011/2	0.10
योग	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमलडीहा-सेमरिया एनिकट में प्रभावित हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शान्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 मई 2016

क्रमांक 20/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	73	0.162
	86/1	0.024
योग	2	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत टेंगापाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक/83/वा./भू.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-चपरीद, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-34.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1300	0.18
1429	0.06
1460	0.02
1303/1	0.04
1267/2	0.05
1403	0.03
1404	0.03
1385	0.07
1263/1	0.03
1297/2	0.02
1297/8	0.04
1421	0.05
1297/4	0.03
1297/5	0.03
1408	0.05
1355	0.01
1383	0.01
1463	0.11
1465	0.13
1472	0.05
1477	0.06
1478	0.25
1486	0.12
1316/3	0.05
1298	0.16
1324	0.01
1361	0.01
1370	0.02
1437	0.12
1356/2	0.03
1327	0.03
1329	0.13
1357/2	0.01
1307	0.15
1308	0.08
1306	0.79
1380	0.06
1273	0.02
1274	0.03
1275	0.03
1193	0.09
1345	0.03
1271	0.17
1487	0.04
1422	0.08
1430	0.09
1493	0.11
1303/2	0.06
1304/2	0.06
1292	0.05
1293	0.01
1294	0.07
1386/2	0.05
1458/1	0.08
1458/4	0.12
1192	0.12
1375	0.08
1409	0.05
1352	0.03
1356/1	0.03
1502	0.18
1316/1	0.08
1302/1	0.09
1302/2	0.05
1420/1	0.02
1372	0.03
1295	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
1299	0.05	1454	0.09
1407	0.10	1455	0.04
1431	0.10	1458/2	0.10
1347	0.03	1346	0.03
1335	0.02	1469/2	0.39
1336	0.06	1496/1	0.10
1392	0.02	1412	0.10
1366	0.03	1390	0.06
1272	0.10	1382	0.02
1332	0.14	1379	0.08
1365	0.01	1331	0.06
1259	0.03	1501/2	0.06
1263/2	0.02	1376	0.04
1495/1	0.09	1388	0.03
1257	0.05	1314	0.12
1479	0.06	1456	0.27
1457/1	0.07	1181/1	0.08
1321	0.18	1468/1	0.08
1457/2	0.08	1179	0.12
1418	0.10	1416	0.04
1500	0.37	1471	0.08
1288/1	0.07	1286/3	0.02
1286/2	0.03	1288/2	0.06
1426/2	0.02	1426/3	0.02
1395	0.06	1374	0.04
1328	0.05	1378	0.04
1337	0.09	1301	0.16
1425	0.07	1458/3	0.21
1349	0.04	1492	0.03
1406	0.08	1281	0.14
1360	0.07	1358	0.08
1405	0.17	1411	0.05
1413	0.07	1488	0.02
1316/2	0.08	1494	0.33
1443	0.07	1270	0.10
1461	0.02	1415	0.10
1330	0.05	1312/2	0.12
1325	0.05	1194	0.03
1417	0.21	1398	0.02
1433	0.47	1399/2	0.02
1464	0.27	1400	0.02
1481	0.05	1490	0.05
1449	0.13	1491	0.04
1450	0.18	1176	0.04
1451/1	0.10	1180	0.21
1451/2	0.05	1182	0.06
1452	0.02	1468/2	0.16
1453	0.08	1181/2	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
1183/3	0.12	1367	0.03
1267/1	0.06	1256/2	0.07
1368	0.03	1414/1	0.04
1466	0.41	1499/1	0.35
1436	0.06	1499/2	0.05
1175	0.14	1499/3	0.05
1265	0.06	1499/4	0.05
1297/1	0.02	1499/5	0.05
1297/6	0.05	1287	0.11
1459	0.26	1289	0.14
1280	0.56	1291	0.15
1489	0.04	1427	0.11
1391	0.06	1389	0.04
1340	0.01	1373	0.03
1448	0.09	1402	0.03
1462	0.05	1282	0.48
1480	0.04	1284	0.54
1304/1	0.07	1399/1	0.06
1470	0.17	1266	0.07
1414/2	0.03	1297/3	0.03
1311	0.09	1297/7	0.04
1296	0.06	1363	0.01
1353	0.02	1333	0.10
1190	0.19	1312/1	0.02
1313	0.13	1187	0.24
1401	0.04	1191	0.09
1503/1	0.10	1264	0.05
1269	0.09	1369	0.07
1260	0.04	1377	0.04
1384	0.04	1309	0.11
1410	0.03	1319	0.15
1386/1	0.04	1354	0.02
1170	0.62	1394/2	0.03
1323	0.01	1371	0.04
1362	0.02	1501/1	0.07
1435	0.03	1394/1	0.02
1434	0.04	1320	0.70
1396	0.02	1357/1	0.02
1397	0.02	1495/2	0.10
1399/3	0.02	1424	0.14
1268	1.36	1316/4	0.04
1283	1.33	1467/2	0.20
1285	0.73	1183/2	0.12
1399/4	0.05	1188/2	0.05
1432	0.15	1341	0.04
1364	0.01	1348	0.07
1189	0.16	1359	0.12
1322	0.01	1387	0.18

(1)	(2)
1428	0.16
1334	0.02
1503/2	0.10
1482	0.04
1393	0.03
1339	0.06
1342	0.01
1343	0.01
1344	0.02
1302/3	0.12
1305	0.06
1326	0.06
1310	0.08
1338	0.15
1183/1	0.12
1188/1	0.04
1350	0.02
1351	0.02
1165/1	0.40
1184	0.11
1186	0.20
1318	0.55
1438	0.02
1439	0.02
1440	0.09
1441	0.03
1442	0.03
1469/1	0.40
1315	0.13
1496/4	0.07
1496/3	0.07
1496/2	0.05
648	3.59
1286/1	0.03
1290	0.15
1426/1	0.03
1185	0.14
1467/1	0.10
योग 297	34.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-समोदा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 654/नग्रानि/2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट आमदी निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

आमदी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मड़ईभाठा, मोखा एवं अमलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम अमलीडीह, बागतराई, कुर्रा, रांवा, आमदी, परसतराई एवं खरतुली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खरतुली, लोहरसी, पोटियाडीह एवं भानपुरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम भानपुरी, तरसीवां, रावां, कुर्रा, बागतराई एवं मड़ईभाठा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, आमदी एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.).

No. 654/T&CP/2016.—It is published for general information to the Public that in Persuance of subsection (3) of section-15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map & register of the Planning Area of "Amdi" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Director, Town and Country Planning C.G. Copy of this notice is being sent for publication in the "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section-15 of the said Act and will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Amdi Planning Area

NORTH : Northern limits of Villages Madaibhatha, Mokha and Amlidih.
EAST : Eastern limits of Villages Amlidih, Bagtarai, Kurra, Ranwa, Amdi, Parastarai and Khartuli.
SOUTH : Southern limits of Villages Khartuli, Loharsi, Potiadih and Bhanpuri.
WEST : Western limits of Villages Bhanpuri, Tarsiwa, Ranwa, Kurra, Bagtarai and Madaibhatha.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours except holidays.

Inspection Place : Office of the Nagar Panchayat Amdi and Assistant Director Town and Country Planning, Dhamtari (C.G.)

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्रमांक/764/टुण्डरा/नग्रानि/2016.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट टुण्डरा निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

टुण्डरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बलौदा, गिधौरी, धटमडुवा एवं कुम्हारी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुम्हारी, अमलीडीह एवं कोरकोटी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोरकोटी, खपराडीह, नरधा एवं मटिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मटिया, हसुवा एवं बलौदा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 261/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The transfer of Shri Shahabuddin Qureshi, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Mungeli as Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Dantewara vide Registry Order No. 249/Confdl./2016/II-3-1/2016 dated 29-03-2016, is hereby, cancelled.

The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assumes charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shahabuddin Qureshi, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Mungeli	Sukma	Sukma	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Smt. Pratibha Verma, Civil Judge Class-I.	Kurud	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Officiating Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 262/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Achhe Lal Kachhi, Secretary District Legal Services Authority.	Kanker	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 266/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is assigned the charge of Special Judge under S.C. & S.T. (Prevention of Atrocities) Act, Jagdalpur, in addition to his own duties with immediate effect until further orders.

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 269/Confdl./2016/II-2-4/2002.—The following officiating/probationary* District Judges of Higher Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

1. Ku. Saroj Nand Das
2. Shri Santosh Kumar Aditya
3. Shri Sanjeev Kumar Tamak*
4. Shri Khilawan Ram Rigri
5. Ku. Sanghratna Bhatpahari
6. Shri Jaideep Garg*
7. Shri Thomas Ekka
8. Shri Santosh Kumar Tiwari*
9. Shri Shailesh Kumar Ketarap
10. Shri Prafull Sonwani
11. Shri Manvendra Singh*
12. Shri Rajbhan Singh*
13. Shri Mohan Prasad Gupta*

Bilaspur, the 7th April 2016

No. 271/Confdl./2016/II-2-4/2002.—The period of officiation of the following officiating District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the tabe below, is hereby extended :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of appointment (3)
(1)	Shri Uma Shankar Mishra	05-10-2013
(2)	Shri Devendra Nath Bhagat	07-10-2013

बिलासपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्रमांक 3255/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 7905/तीन-6-7/2000 दिनांक 01-10-2015 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री शांतनु कुमार देशलहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 3255/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 7905/III-6-7/2000, dated 01-10-2015 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoits Shri Santanoo Kumar Deshlahre, Judicial Magistrate First

Class, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., date 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 3519/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी अपने घोषित कार्य स्थल नगरी के अतिरिक्त कुरूद में भी प्रत्येक माह में 02 सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 3519/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Nagri in addition to his declared place of sitting at Nagri shall also sit at Kurud for 02 weeks in every month.

Bilaspur, the 29th April 2016

No. 3521/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Sarv Vijay Agrawal, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
2.	Ku. Shruti Shukla, J.M.F.C., Bhatgaon	Bhatgaon	Balodabazar
3.	Shri Anil Prabhat Minj, J.M.F.C., Kasdol	Kasdol	Balodabazar

Bilaspur, the 5th May 2016

Chhattisgarh Mediation Rules, 2015

No. 3746Rules/2016.—In exercise of the rule making power under Chapter X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, and in supersession of previous rules made, published and promulgated on this subject, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following Rules, which shall come into force from the date of its notification :—

Rule 1 : Title:— These Rule shall be called the Chhattisgarh Mediation Rules, 2015.

Rule 2 : Function of the Mediation Centre :

(1) To maintain a panel of trained Mediators sufficient in number to meet the requirement of work referred to the Mediation Centre.

(2) On receipt of the matter by way of referral for mediation, the Co-ordinator of the Mediation Centre may assign the matter to any mediator who is best suited to deal with the matter from the panel of mediators maintained by the Mediation Centre.

(3) The Mediation shall not be limited only to the issues in the referred dispute and the Mediator may take into account the disputes between the parties to a case which are not the subject of the pending litigation, and may resolve all disputes between the parties.

(4) During the mediation, counsel for the parties may also participate in the mediation process.

(5) In appropriate cases, the Mediation Centre may invite any person/persons, other then those who are involved in the pending litigation to join the Mediation for the purpose of finding comprehensive and complete solutions including an expert pertaining to any field.

(6) If any party to the dispute referred to Mediation has any objection to the mediator assigned to it, the said party shall inform the Mediation Centre of the same and thereafter the Co-ordinator, Mediation Centre shall endeavour to appoint a Mediator who may be acceptable to all the parties.

Rule 3 : Appointment of Mediator :—

(a) In a Court annexed mediation, the co-ordinatior of the mediation centre shall appoint the mediator as he may deem fit.

(b) In exceptional cases, the Court may also appoint a mediator who is not necessarily from the panel of Mediators referred to in Rule 4 nor bear the qualifications referred to in Rule 5 but should not be a person who suffers from the disqualifications referred to in rule 6.

Rule 4 : Panel of Mediators :—

(a) The High Court shall empanel only those persons as mediators who have necessary qualifications as indicated in Rule 5 and a list of such mediators empanelled with the mediation centre should be prepared.

(b) The District Court shall also prepare a panel of qualified Mediators with the approval of the High Court Mediation Committee.

All the mediators as appointed under Clause (a) and Clause (b) shall normally be on the panel for a period of 3 years from the date of appointment and further extension of their tenure shall be at the discretion of High Court Mediation Committee.

Rule 5 : Qualifications of persons to be empaneled under Rule 3:— The following persons are eligible for training as Mediators :

(a) (i) Retired Judges of the Supreme Court of India;

(ii) Retired Judges of the High Court;

(iii) Retired District and Sessions Judges or retired Judges of the City Civil Court or Courts of equivalent status.

(b) Judicial Officers or legal practitioners with atleast 10 years standing at the bar at the level of the Supreme Court or the High Court on the District Courts of equivalent status;

(c) Experts or other professionals with the least fifteen years standing; or retired senior bureaucrats or retired senior executives;

Rule 6 : Disqualification of persons :— The following persons shall be deemed to be disqualified for being empanelled as mediators :

(a) any person who has been adjudged as insolvent or persons

(i) against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending ; or

(ii) persons who have been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude.

(b) any person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary authority which are pending or have resulted in a punishment.

(c) any person who is interested or connected with the subject matter of dispute(s) or is related to any one of the parties or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing.

(d) Any legal practitioner who has or is appearing for any of the parties in the suit or in other proceedings (s).

Rule 7 : Addition to or deletion from panel :— There shall be periodical assessment of the performance of the mediators. The High Court or the District & Sessions Judge with prior approval of the High Court Mediation Committee, may in its/his discretion, from time to time, add or delete any person in the panel of mediators.

Rule 8 : Preference:— The Coordinator shall, while nominating any person from the panel of mediators referred to in Rule 3, consider his suitability for resolving the dispute(s) involved and shall give preference to those who have proven record of successful mediation or who have special qualification or experience in mediation.

Nomination to a mediation proceeding shall not be perceived as a right by mediator. Such nomination shall be at the discretion of the Coordinator of the Mediation Centre.

Rule 9 : Duty of mediator to disclose certain facts :—

(a) When a person is approached in connection with his proposed appointment as mediator, he shall disclose any circumstance likely to give rise to a reasonable doubt as to his independence or impartiality.

(b) Every Mediator shall from the time of his appointment and throughout continuance of the mediation proceedings, without delay, disclose to the parties, about the existence of any circumstance referred to in Clause (a).

Rule 10 : Withdrawal of appointment :— Upon information furnished by the mediator under rule 9 or upon any other information received from the parties or other persons, if the Court, in which the suit or proceeding is pending or the coordinator of the Mediation Centre, is satisfied, that the said information has raised a reasonable doubt as to the mediator's independence or inpartiality, it/he may withdraw the appointment and replace him by another mediator.

Rules 11 : Mediation process.—

(a) All civil and criminal compoundable matters may be referred to mediation during the course of litigation, by the Court.

(b) The mediation process will comprise of reference as well as the steps taken by the mediator to facilitate the settlement of a referred matter by following the structure usually followed, including but not limited to introduction and opening statement, joint session, separate session (s) and closing.

(c) Failure to arrive at a settlement would not preclude the Court from making fresh reference of the matter for mediation.

(d) In case of failure of resolution of the referred dispute, the Mediator shall inform the Mediation Centre, by a report and the Co-ordinator of the Mediation Centre shall inform regarding the same to the Court.

Rule 12 : Mediator not bound by Indian Evidence Act, 1872 or Code of Civil Procedure, 1908 : — The mediator shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 or the Indian Evidence Act, 1872, but shall be guided by the principles of fairness and justice, having regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the circumstances of the dispute (s).

Rule 13 : Representation of parties :— The parties shall ordinarily be present personally or through constituted attorney at the sessions notified by the Mediator. They may also be represented by a counsel with permission of the mediator in such sessions.

Rule 14 : Consequences of non-attendance of parties at sessions on due dates :— If a party fails to attend a session notified by the mediator on account of deliberate or wilful act, the other party or the mediator can apply to the Court in which the suit or proceeding is pending, in that case Court may issue the appropriate directions having regard to the facts and circumstances of the case.

Rule 15 : Administrative assistance :— In order to facilitate the conduct of mediation proceedings, the parties, or the mediator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

Rule 16 : Role of Mediator :— The mediators shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute(s) by the parties. He shall assist them in understanding the problems, identifying the underlying issues, reducing mis-understandings, generating the options and developing option which are mutually acceptable to both the parties.

Rule 17 : Parties along responsible for taking decision :— The parties shall be made to understand that the mediator only facilitates in arriving at a decision to resolve dispute(s) and that he will not and cannot impose any settlement nor dose the mediator give any assurance that the mediation will result in a settlement. The mediator shall not impose any decision on the parties.

Rule 18 : Time limit for completion of mediation :— On the expiry of Ninety days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, the mediation shall stand terminated, unless the Court, which referred the matter, either suo moto, or upon request by any of the parties, and upon hearing all the parties, is of the view that extension of time is necessary or may be usefule; but such extension shall not be beyond a further period of thirty days.

Rule 19 : Parties to act in good faith :— All the parties shall commit to participate in the proceedings in good faith with the intention to settle the dispute (s), if possible.

Rule 20 : Confidentiality, disclosure and inadmissibility of information :—

(1) When a mediator receives factual, information concerning the dispute from any party, he shall disclose the substance of that information to the other party, so that the other party may have an opportunity to present such explanation as it may consider appropriate.

Provided that, when a party gives information to the mediator subject to a specific condition that it be kept confidential, the mediator shall not disclose the information to the other party.

(2) Receipt or perusal of any document by the mediator or receipt of information orally by the mediator while serving in that capacity, shall be confidential and the mediator shall not be compelled to divulge information regarding the document or record or oral information nor as to what transpired during the mediation.

(3) Parties shall maintain confidentiality in respect of events that transpired during the mediation and shall not rely on or introduce the said information in any proceeding as to :—

(a) views expressed by a party in the course of the mediation proceeding;

(b) documents produced during the mediation which were expressly required to be treated as confidential or other notes or drafts or information given by the parties to the mediators.

(c) proposal made or views expressed by the mediator.

(d) admission made by a party in the course of mediation proceeding.

(e) the fact that a party had or had not indicated willingness to accept a proposal.

(4) There shall be no stenographic or audio or video recording of the mediation proceedings.

(5) A mediator may maintain personal record regarding progress of the mediation for his personal use.

Rule 21 : Privacy :— The mediation sessions shall be conducted in complete privacy; only the concerned parties or their counsels of power of attorney holders can attend, other persons may attend only with the consent of the parties and permission of the mediator.

Rule 22 : Immunity :— No mediator shall be held liable for anything bonafidely done or omitted to be done by him during the mediation proceedings for civil or criminal action nor shall he be summoned by any party to the suit or proceeding to appear in a Court of Law to testify in regard to information received by him or action taken by him or in respect of drafts or records prepared by him or shown to him during the mediation proceedings.

Rule 23 : Communication between mediator and the Court :—

(1) In order to preserve the Confidence of parties in the court and the neutrality of the mediator, there should be no communication between the mediator and the Court, except as stated in sub-rules (2) and (3) or this Rule.

(2) If any communication between the mediator and the Court is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or their constituted attorneys or the counsel.

(3) All communication between the mediator and the Court shall be made only by the mediator and in respect of the following matters :

(a) the failure of a party or parties to attend ; or

(b) the mediator's assessment that the case is not suited for settlement through mediation; or

(c) settlement of dispute or disputes arrived at between parties.

Rule 24 : Settlement agreement :— Where an agreement is reached between the parties with regard to all the issues in the suit or proceeding or some of the issues, the same shall be reduced to writing and signed by the parties or their constituted attorney. If any counsel has represented the parties, the mediator may obtain his signature also on the settlement agreement.

(1) The agreement of the parties so signed shall be submitted to the Co-ordinator, Mediation Centre, who shall, with a covering letter signed by him forward the same to the Court in which the suit or proceedings pending.

(2) Where no agreement is arrived at between the parties or where the mediator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same in writing to the Co-ordinator, Mediation Centre, who shall, with a covering letter signed by him forward the same to the Court in which the suit or proceeding is pending.

Rule 25 : Court to record settlement and pass decree :— On receipt of settlement agreement, if the Court is satisfied that the parties have settled their disputes voluntarily, the Court may pass appropriate order/decree on the basis of settlement, if the same is not found collusive/illegal/unworkable. However if the settlement disposed of only certain issues arising in the matter, the Court may record settlement in respect of the issues settled in the mediation and may proceed to decide other issue which are not settled.

Settlement between the parties shall be final in respect of the proceedings pending before the Court.

Rule 26 : Fee of the Mediators :—

(a) the mediators shall be paid honorarium as under :

S. No. (1)	Nature of Case (2)	Honorarium (3)
1.	On settlement through mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guardianship, probate, partition and possession.	Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-]

(1)	(2)	(3)
2.	All other matters.	Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-]
3.	Connected case	Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases]
4.	In case of no settlement	No honorarium

It is subject to revision from time to time as deemed fit by the Hon'ble Chairman and Members of MCPC/Committee for Monitoring the Mediation Centres of this High Court.

(b) However, in exceptional cases the Court may fix consolidated amount as fee of the Court nominated mediator/mediators.

(c) Each party shall bear the cost for production of their witnesses and experts, as also for production of documents.

Rule 27 : Ethich and Code of conduct for mediator :— The Mediator shall follow and observe these Rules strictly and with due diligence.

(1) Not indulge in conduct unbecoming of a mediator.

(2) Uphold the integrity and fairness of the mediation process.

(3) Ensure that the parties involved in the mediation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the mediation process.

(4) While communicating with the parties avoid any impropriety or appearance of impropriety.

(5) The mediator must avoid mediating in cases where they have direct personal, professional or financial interest in the outcome of the dispute. If the mediator has any indirect interest, he is bound to disclose to the parties such indirect interest at the earliest opportunity and he shall not mediate in the case unless the parties specifically agree to accept him as mediator, despite such indirect interest.

(6) Where the mediator is an advocate, he shall not appear for any of the parties in respect of the dispute which he had mediated.

(7) Mediators have a duty to know the limits of their competence and ability in order to avoid taking on assignments which they are not equipped to handle.

(8) Mediators have a duty to remain neutral throughout the mediation.

(9) Mediators must respect the voluntary nature of mediation and must recognize the rights of the parties to withdraw from the mediation at any stage.

(10) Mediation being confidential in nature, a mediator shall be faithful to the confidentiality reposed in him.

(11) Mediator has a duty to encourage the parties to make their own decisions both individually and collectively about the resolution of the dispute, rather than imposing his own ideas on the parties. Self determination is the essence of the mediation process.

(12) Settlement of dispute must be based on informed consent.

(13) Conduct all proceeding relating to the resolution of dispute in accordance with the law.

(14) Mediator must refrain from promises or guarantee of results.

Rule 28 : Consequences of breach of Rule 27:— It shall be open to thhe Coordinator to take such action with the approval of the High Court Mediation Committee as may be appropriate if the mediator violates any code of conduct expressed in Rule 27 or behaves in a manner not expected of him as a Mediator".

SCHEME FOR TRAINING UNDER MEDIATION AND CONCILIATION PROJECT COMMITTEE

The Supreme Court of India has constituted Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) to oversee the effective implementation of Mediation and Conciliation in the Country. The Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) was constituted by the then Chief Justice of India Hon'ble Mr. Justice R. C. Lohoti by order dated 9th April, 2005. Hon'ble Mr. Justice N. Santosh Hegde was its first Chairman. It consisted of other Judges of the Supreme Court and High Court, Senior Advocates and Member Secretary of NALSA.

1. Composition .— At present the constitution of MCPC is as under :

1.	Hon'ble Mr. Justice J. S. Khehar	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur	Member
3.	Hon'ble P. P. Rao, Senior Advocate	Member
4.	Ms. Asha Menon, Member Secretary NALSA	Member
5.	Ms. Nisha Sexena	Member Secretary

2. Eligibility for Training.— The following persons are eligible for training as mediators :

(a) (i) Retired Judges of the Supreme Court of India,
(ii) Retired Judges of the High Court,
(iii) Retired District and Sessions Judges or retired Judges of the City Civil Court or Courts of equivalent status.

(b) Judicial Officers or legal practitioners with atleast 10 years standing at the bar at the level of the Supreme Court or the High Court on the District Courts of equivalent status ;

(c) Experts or other professionals with the last fifteen years standing ; or retired senior bureaucrats or retired senior executives;

3. Training of Mediators.— The Mediators are trained as per the curriculum approved by the MCPC contained in the manual known as Mediation Training Manual of India. The Mediation Training Manual was prepared under the guidance of Hon'ble Mr. Justice Cyriac Joseph, former member, MCPC and Chairman, Sub-Committee. Any person to be trained as a Mediator has to undergo compulsory40 hours mediation training imparted by trainers of MCPC as per the curriculum laid down in Mediation Training Manual. Mediation Training Manual of India can be down loaded from the Supreme Court of India website-sci.nic.in.

4. Accredition.— A person must have undergone 40 hours of mediation training programme under the aegis of MCPC as per curriculum approved by MCPC from the trainers of Mediation and Conciliaions Project Committee. After having undergone 40 hours training only those mediators who have completed atleast 10 successful mediation resulting in settlement and atleast 20 mediation in all, are eligible to be accredited as qualified mediator.

The Committee also resolved that the Mediators who have undergone training programme conducted by institution other than MCPC shall not be accredited as Mediator under MCPC.

5. Training of Trainers Programme.— Master trainers of Mediation have devised a 20 hour programme for training of trainers and only those mediators accredited by MCPC who have completed atleast 50 mediations resulting in settlement and atleast 60 mediations in all, are eligible to undergo Training of Trainers (ToT) programme. The training of trainers programme is also followed by advanced training programme to further crystallize the concept of mediation and skill development.

6. Honorarium to Mediators Accredited by MCPC

S. No. (1)	Nature of Case (2)	Honorarium (3)
1.	On settlement through mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guardianship, probate, partition and possession.	Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-]
2.	All other matters.	Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-]
3.	Connected case	Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases]
4.	In case of no settlement	No honorarium

The scheume of training under MCPC has been devised in such a way so as to ensure uniformity in the curriculum of the Mediation training and also to maintain quality control of mediators throughout the country.

The endeavor of the Mediation and Conciliation Project Committee is to give a boost to the Court annexed mediation and to help mediation in growing not as an alternative Dispute Resolution Mechanism but as another rffective mode of dispute resolution.

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.